रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032020-218571
CG-DL-E-07032020-218571

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 100] **नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 4, 2020/फाल्गुन 14, 1941**
No. 100] **NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 4, 2020/PHALGUNA 14, 1941**

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2020

सं. भा.आ.प.-12(2)/2019-मेड.विविध/193707.— भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं विनियमावली, 1998" को पुन: संशोधित करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत:-

1. (i) इन विनियमों को "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं (संशोधन) विनियमावली, 2019" कहा जाएगा ।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. “चिकित्सा संस्थानों में अध्यापको के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998” में, अनुसूची-I में, न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में शैक्षिक योग्यताएं एवं अध्यापन/ अनुसंधान अनुभव वाली सारणी निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जाएगी :

न्यूक्लियर चिकित्सा

पद	**शैक्षिक योग्यता**	**अध्यापन एवं अनुसंधान अनुभव**
प्रोफेसर	दिनांक 01.11.2018 की अधिसूचना के अनुसार, किसी मान्यताप्राप्त केन्द्र में न्यूक्लियर मेडिसिन में दो वर्ष के अनुभव के साथ एम.डी. (न्यूक्लियर मेडिसिन) / एम.डी. (विकिरण थेरेपी)	(i) अनुमति प्राप्त / अनुमोदित / मान्यताप्राप्त किसी मेडिकल कालेज/ संस्थान में 3 वर्ष के लिए 3 अनुसंधान प्रकाशनों (कम से कम दो एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में) (केवल मूल कागजात, मेटा-विश्लेषण, व्यवस्थित समीक्षा और केस अनुक्रम जो हैं

	/किसी मान्यताप्राप्त केन्द्र में न्यूक्लियर मेडिसिन में दो वर्ष के अनुभव के साथ डीआरएम या डीएनएम सहित एम.डी. (विकिरण निदान) / डीआरएम या डीएनएम / डीएनबी (न्यूक्लियर मेडिसिन) के साथ एम.डी. (जीव-भौतिकी) या जीव भौतिकी में उसके समकक्ष शैक्षिक योग्यता ।	मेडलाइन, पबमेड सेंट्रल, प्रशस्ति सूचकांक, विज्ञान उद्धरण सूचकांक, विस्तारित एम्बेस, स्कोपस, ओपन एक्सेस पत्रिकाओं की निर्देशिका (DoAJ) में प्रकाशित पत्रिकाओं में विचार किया जाएगा) के साथ, उस विषय में एसोसिएट प्रोफेसर। लेखक को पहले तीन में से एक होना चाहिए या तदनुरूपी लेखक होना चाहिए । (ii) चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा निर्दिष्ट संस्थानों से मूलभूत पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए। (iii) बायोमेडिकल रिसर्च में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा निर्दिष्ट संस्थानों से मूलभूत पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए। इसके अलावा बशर्ते कि 2 साल की पारगमन अवधि के लिए,अधिसूचना की दिनांक से, प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं विनियमावली, 1998" अधिसूचना के अनुसार संस्था द्वारा की जा सकती है जैसा कि इस अधिसूचना के जारी होने से पहले था।
एसोसिएट प्रोफेसर	-वही-	(i) अनुमति प्राप्त / अनुमोदित / मान्यताप्राप्त किसी मेडिकल कालेज/ संस्थान में 4 वर्ष के लिए 1 अनुसंधान प्रकाशन (केवल मूल कागजात, मेटा-विश्लेषण, व्यवस्थित समीक्षा और केस अनुक्रम जो हैं मेडलाइन, पबमेड सेंट्रल, प्रशस्ति सूचकांक, विज्ञान उद्धरण सूचकांक, विस्तारित एम्बेस, स्कोपस, ओपन एक्सेस पत्रिकाओं की निर्देशिका (DoAJ) में प्रकाशित पत्रिकाओं में विचार किया जाएगा) के साथ, उस विषय में सहायक प्रोफेसर। लेखक को पहले तीन में से एक होना चाहिए या तदनुरूपी लेखक होना चाहिए। (ii) प्रकाशन / लेखनकारिता के बदले में अनुसंधान परियोजना को केवल तभी माना जा सकता है जब व्यक्ति किसी राष्ट्रीय अनुसंधान निकाय जैसे कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आईसीएमआर) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) या ऐसे किसी निकाय द्वारा वित्तपोषित एक अनुसंधान परियोजना का प्रधान या सह-प्रधान अन्वेषक (P1 / CoPI) हो। (iii) चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा निर्दिष्ट संस्थानों से मूलभूत पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए।

		(iv) बायोमेडिकल रिसर्च में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा निर्दिष्ट संस्थानों से मूलभूत पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए। इसके अलावा बशर्ते कि 2 साल की पारगमन अवधि के लिए, अधिसूचना की दिनांक से, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति / पदोन्नति "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं विनियमावली, 1998" अधिसूचना के अनुसार संस्था द्वारा की जा सकती है जैसा कि इस अधिसूचना के जारी होने से पहले था।
सहायक प्रोफेसर	-वही-	किसी मान्यताप्राप्त /अनुमति प्राप्त मेडिकल कालेज में संबंधित विषय में कनिष्ठ रेजीडेंट के रूप में 3 वर्ष और किसी मान्यताप्राप्त/अनुमति प्राप्त मेडिकल कॉलेज में संबंधित विषय में वरिष्ठ रेडीडेंट के रूप में एक वर्ष । अनुसूची-I के खंड 4क के अनुसार, एम.डी./एम.एस. के समतुल्य माने गए डी.एन.बी. अभ्यार्थी के मामले में, रेजीडेंट/प्रदर्शक/ट्यूटर के रूप में 3 वर्ष के अध्यापन अनुभव या डी.एन.बी. प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त कार्य अनुभव के अलावा किसी मान्यताप्राप्त/अनुमतिप्राप्त मेडिकल कालेज में संबंधित विषय में वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में एक वर्ष ।
वरिष्ठ रेजीडेंट	एमडी/डीएनबी (न्यूक्लियर चिकित्सा)	वरिष्ठ रेजीडेंट वह है जो स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा (एमडी/एमएस/डीएनबी) प्राप्त करने के पश्चात संबंधित स्नातकोत्तर विषय में अपनी रेजीडेंसी कर रहा /रही है और 45 वर्ष से कम आयु का/की है ।

टिप्पणी : न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में किसी संकाय सदस्य के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, इस अधिसूचना की तारीख से केवल एमडी (न्यूक्लियर मेडिसिन) /डीएनबी (न्यूक्लियर मेडिसिन) होगी और इसे इस अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष बीत जाने की तारीख से लागू किया जाएगा ।

डॉ. आर.के. वत्स, महासचिव
[विज्ञापन III/4/असा./486/19]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली, नामत: "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं विनियमावली, 1998" दिनांक 05 दिसंबर, 1998 को भारत के राजपत्र के भाग III खंड 4 में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 16/03/2005, 21/07/2009, 28/10/2009, 15/12/2009, 03/11/2010, 08/07/2011, 12/06/2012, 06/09/2012, 01/10/2012, 16/05/2015, 13/07/2016, 11/03/2017, 08/06/2017, 23/01/2018, 01/11/2018, 07/06/2019 और 19/08/2019 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

BOARD OF GOVERNORS IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2020

No. MCI-12(2)/2019-Med.Misc./193707.—In exercise of powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), in Supersession of the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations to further amend the “Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations 1998, namely:-

1. (i) These regulations may be called the “Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions (Amendment) Regulations, 2019”.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the “Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998”, in Schedule I, in the department of ‘Nuclear Medicine’ the table containing qualifications & teaching/research experience be substituted as under: -

NUCLEAR MEDICINE

Post	Academic Qualification	Teaching/Research Experience
Professor	M.D. (Nuclear Medicine) / M.D.(Radio-Therapy) with two years experience in Nuclear Medicine in a recognised centre/M.D.(Medicine) with DRM OR DNM/M.D. (Radio-Diagnosis) with two years experience in Nuclear Medicine in a recognised centre/M.D.(Bio-Physics) or its equivalent qualification in Bio- Physics with DRM or DNM/ DNB (Nuclear Medicine) as per notification dated 01.11.2018	(i) Associate Professor in the subject for 3 years in a permitted/approved/ recognized medical college/institution with three Research publications (atleast two as Associate Professor) (only original papers, meta-analysis, systematic reviews, and case series that are published in journals included in Medline, Pubmed Central, Citation index, Sciences Citation index, Expanded Embase, Scopus, Directory of Open access journals (DoAJ) will be considered). The author must be amongst first three or should be the Corresponding author. (ii) Should have completed the Basic course in Medical Education Technology from Institution(s) designated by MCI. (iii) Should have completed the Basic course in biomedical research from Institution(s) designated by MCI. Further provided that for the transitory period of 2 years w.e.f. the date of this notification, the appointment/ promotion to the post of Professor can be made by the institution in accordance with the “Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998” as prevailing before issuance of this notification.
Associate Professor	- Do -	(i) As Assistant Professor in the subject for 4 years in a permitted/approved/ recognized d medical college/institution with one Research publication (only original papers, meta-analysis, systematic reviews, and case series that are published in journals included in Medline, Pubmed Central, Citation index, Sciences Citation index, Expanded Embase, Scopus, Directory of Open access journals (DoAJ) will be considered). The author must be amongst first three or should be the Corresponding author. (ii) Research project in lieu of publication/authorship can be considered only if the person is Principal or Co-Principal investigator

		(P1/CoPI) of a research project funded by a national research body such as Indian Council for Medical Research (ICMR), Department of Science & Technology (DST), Department of Bio-Technology (DBT) or any such body. (iii) Should have completed the Basic course in Medical Education Technology from Institution(s) designated by MCI. (iv) Should have completed the Basic course in biomedical research from Institution(s) designated by MCI. Further provided that for the transitory period of 2 years w.e.f. the date of this notification, the appointment/ promotion to the post of Associate Professor can be made by the institution in accordance with the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998" as prevailing before issuance of this notification .
Assistant Professor	- Do -	3 years Junior Resident in a recognized/permitted medical college in the concerned subject and one year as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/permitted medical college. In case of DNB candidate equated to MD/MS in terms of clause 4A of Schedule-I, in addition to 3 year teaching experience in the subject as Resident/Registrar/ Demonstrator/ Tutor/ or work experience gained during DNB training, one year as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/permitted medical college.
Senior Resident	MD/DNB (Nuclear Medicine)	Senior Resident is one who is doing his/her residency in the concerned post graduate subject after obtaining PG degree/Diploma (MD/MS/DNB) and is below 45 years of age.

NOTE: The essential qualification for a faculty in the Department of Nuclear Medicine shall be MD (Nuclear Medicine)/DNB (Nuclear Medicine) only and shall be made applicable w.e.f. one year from the date of this notification.

DR. R.K. VATS, Secy. General
[ADVT.-III/4/Exty./486/19]

Footnote: The Principal Regulations namely, "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations 1998" were published in Part- III, Section (4) of the Gazette of India on the 5th December, 1998 and amended vide MCI notifications dated 16/03/2005, 21/07/2009, 28/10/2009, 15/12/2009, 03.11.2010, 08.07.2011, 12.06.2012, 06.09.2012, 01.10.2012, 16.05.2015, 13.07.2016, 11.03.2017, 08.06.2017, 23.01.2018, 01.11.2018, 07/06/2019 and 19/08/2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.03.07 15:50:37 +05'30'